न्यायालय सिविल जज (जू.डि.)/न्यायिक मजिस्ट्रेट, ठाकुरद्वारा।

विविध वाद संख्या–222/2018

कम्प्यूटर नं.–158/2018

धारा–156(3) द.प्र.सं.

थाना–ठाकुरद्वारा।

निस्तारण बहश तलबी के संबंध में आदेश

24.08.2019

पत्रावली आदेशार्थ पेश हुई। प्रार्थी अशोंक कुमार के द्वारा मवाशी एवं श्रीमती रानी देवी के विरुद्ध दिनांक 08.05.18 की शाम 6 बजें की घटना के आधार पर परिवाद योजित करते हुए मुख्यतः इस आशय का कथन किया है कि प्रार्थी मोटर साईकिल से ठाकुरद्वारा से अपने घर वापस आ रहा था। रामूवाला गनेश के मोड़ के पास कालावाला को जाने वाले रास्ते पर पहुंचा तो वहां पर पहले से मवाशी व श्रीमती रानी देवी तथा उसके साथ दो अज्ञात व्यक्ति पहले से ही खड़े थे। उपरोक्त विपक्षीबण ने प्रार्थी की मोटर साईकिल रूकबाई और प्रार्थी को गन्दी–गन्दी गालियां देने लगे, गालियां देने से रोका गया तो उपरोक्त विपक्षीगण ने प्रार्थी को लात–घूसों से मारने पीटने लगे और प्रार्थी को मोटरसाईकिल से नीचे सड़क पर गिरा दिया। प्रार्थी के शोर मचाने पर रास्ते में पीछे से आ रहे विजयपाल उर्फ बब्बू व नरेन्द्र ने प्रार्थी को मुल्जिमान से बचाया। बीच–बचाव के दौरान मुल्जिमान ने प्रार्थी की जैब से जबरन 1300/–रूपये लिये एवं जाते समय जान से मारने की धमकी देते हुए चले गये।

प्रार्थी का कथन अंतर्गत धारा 200 द.प्र.सं. का परिशीलन किया गया। प्रार्थी के द्वारा घटना का समय दिनांक 08.05.18 को शाम 6 बजें का दर्शाया गया है, जिसकी पुष्टि प्रार्थी के 200 के बयान एवं प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत साक्षीगण द्वारा की गयी। प्रार्थी के साथ गाली–गलौंच लात–घूसों से मारने एवं जान से मारने की धमकी बखूवी प्रार्थी के बयान एवं साक्षीगण के बयानों से सिद्ध होती है। प्रार्थी ने अपने 200 के बयान में 1300/–रूपये अपने चाचा मवाशी के द्वारा निकालने का कथन किया है। उपरोक्त समय का परिशीलन के आधार पर इस निष्कर्ष पर पहुंचा जाता है कि प्रार्थी के द्वारा प्रतिवादपत्र में दर्शाए गये घटना का समय का समर्थन प्रतिवादी के 200 एवं साक्षीगणों द्वारा स्पष्ट सिद्ध होता है। निष्कर्षतः उपरोक्त परिशीलन के आधार पर परिवादी के प्रार्थनापत्र के आधार पर प्रतिपक्षीगण को तलब किये जाने का पर्याप्त औचित्य है। अतः विपक्षीगण को अंतर्गत धारा– 323,504,506 व 427 में तलब किये जाने योग्य है।

आदेश

विपक्षीगण मवाशी को अंतर्गत धारा–323,504,506 व 427 भा.दं.सं. के अंतर्गत व श्रीमती रानी देवी को 323,504 व 506 के अंतर्गत तलब किया जाता है। प्रार्थी नियमानुसार पैरवी करे। पत्रावली वास्ते हाजरी दिनांक 15.10.19 को पेश हो।

सिविल जज (जू.डि.)/न्यायिक मजिस्ट्रेट,

ठाकुरद्वारा।